



सं

CHG/BST/FE-1/30CHG03001

दिनांक 10/01/2022

प्रेषितः

Shri D K Mohanty, Director (Production),
NMDC Ltd, 10-3-311/A,
Castle hills, Masab tank, Hyderabad
Pin: 500028, Telangana
Email: dkmohanty123@nmdc.co.in , rgovindarajan@nmdc.co.in , vinaykumar@nmdc.co.in

विषयः छत्तीसगढ़ राज्य के Dantewada जिले में स्थित आपकी Deposit-14ML, Iron ore Mines, Kirandul Complex क्षेत्रफल 322.368 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 10.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा Shri Anil Kumar, Dy. General Manager cum Mining Engineer की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	RMP along with PMCP was approved vide letter no. DNT/FE/MP-1214/2019-RAIPUR/549, 12.12.2019 for a period of 2020-21 to 2024-25 . The deviation observed in mining operation vis-a-vis approved document are given below 1) As per approved Mining Plan, 20 boreholes were proposed to be drilled till the year 2020-21, only 09 number of boreholes have been drilled. 2) Afforestation: There was a proposal given for plantation of 2000 nos. of plants during 2020-21. Whereas, only 500 of the plants have been planted.
Rule - 19	Machinery and plant. -(1) Where heavy earth moving machinery is used in mines, the holder of a mining lease shall maintain log books duly authenticated by the manager or mining engineer of such mines in respect of each machine showing date-wise account of hours worked, hours not worked, reasons for non-working, consumption of fuel or energy and lubricants and output of the machine during the corresponding working hours. (2) The summary of operation of each machine shall be recorded in the log book at the end of each month bringing out the percentage availability and percentage utilization of the machine, average hourly performance and average fuel or energy consumption per hour. (3) The log books may be maintained in electronic form or in hard copy and shall be made available to the authorized officer on demand. The Same was not produced for verification on demand.
Rule- 45 (5) (c)	Following deficiencies were observed in the Annual Returns submitted: i) Cost of Production and Value of fixed assets of Deposit 11, Deposit 14ML and Deposit 14NMZ given same in Annual Return submitted for the year 2020-21.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इन नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :-

- क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर या प्ररूप में Annual Return में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/- रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उल्लंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा।
- (ख) खदान की सारी खनन संक्रियाएं बन्द की जा सकती हैं,
- (ग) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है, एवं
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त किया जा सकता है।

3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. अतः आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(रूद्र नारायण मिश्र)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

प्रति: By Email

1. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप महा निदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग, पाँचवा तल, डी ब्लॉक, इन्दिरा भवन, सिविल लाइंस, नागपुर, महाराष्ट्र 440 001

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो